बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

<u>आदेश</u>

श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक– 719/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेगूसराय सम्प्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 14348 दिनांक– 01.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने संबंधित सूचना प्राप्त हुई है । उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है तथा विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्त किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्ति कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय ।

2. उक्त के आलोक में श्रीमती संगीता सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । श्रीमती सिंह को निदेश दिया जाता है कि श्री मिश्र के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी साक्ष्य/संचिका बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना से प्राप्त कर इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करें ।

3. प्रस्ताव पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त हैं ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 (बेगूसराय)–13/2018 5500/खाद्य,पटना/दिनांक 30|11|18
प्रतिलिपि–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती संगीता सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक– 14348 दिनांक– 01.11.2018, आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) /सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/XI/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016(PK)\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord..doc.AKS